न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-03, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी — ज्योति के.सोनी, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निर्णय दिनांकः 13-05-2026
सेशन प्रकरण संख्याः 11/26
सी.आई.एस नंबर 104/24
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या -732/15 थाना सदर अलवर
अंतर्गत धारा -395 भा.दं.सं.
अभियोगीः-

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी
उपस्थितः-अभियोजन अधिकारी ।
-श्री अजीत यादव, अभियोजन अधिकारी ।

बनाम

अभियुक्तगणः-

1. सलीम उर्फ गंजा पुत्र सिराजुदीन निवासी रिठठ थाना नगीना जिला नूंह हरियाणा **[मफरूर दिनांक 19.04.2018]**
2. वसीम पुत्र इकबाल निवासी टॉई थाना नूंह जिला नूंह मेवात हरियाणा **[मफरूर दिनांक 31.05.2024]**
3. कमाल पुत्र इदरीश निवासी किरज थाना रोज का मेव जिला नूंह मेवात हरियाणा **[मफरूर दिनांक 31.05.2024]**
4. मुनाफ पुत्र सगीर निवासी रिठठ थाना नगीना जिला नूंह मेवात हरियाणा **[मफरूर आदेशिका दिनांक 08.05.2026]**
5. वसीम पुत्र हमीद निवासी उमराका थाना नूंह जिला नूंह मेवात हरियाणा **[मफरूर दिनांक 31.05.2024]**
6. अहमद कौद पुत्र टुण्डल निवासी रिठठ थाना नगीना जिला नूंह

हरियाणा

7. काला उर्फ वकील पुत्र इस्लाम निवासी कोट [उटावड] थाना बहीन जिला पलवल हरियाणा

8. राहुल पुत्र चौडा उर्फ रूजदार निवासी अडबर थाना नूंह जिला नूंह मेवात हरियाणा

9. उस्मान पुत्र इमामुदीन निवासी रिठठ थाना नगीना जिला नूंह मेवात हरियाणा

उपस्थितः- श्री आसिफ अली, श्री अमजद खान, श्री फारूख,
विद्वान अधिवक्ता ।

-प्रकरण का संक्षिप्त विवरण-

अपराध की तिथि	18.11.2015 व 17.11.2015 की मध्य रात्रि
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	17.11.2015
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	उस्मान-दिनांक 05.12.2020 अहमद कौद-11.03.2016 राहुल-11.03.2016 काला उर्फ वकील-23.12.2019
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	उस्मान-दिनांक 17.06.2022 अहमद कौद-दिनांक 11.05.2026 राहुल-दिनांक 25.10.2024 काला उर्फ वकील -दिनांक 25.03.2021
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	25.10.2024
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	13.05.2026
निर्णय की तिथि	13.05.2026
दण्ड दिये जाने की तिथि [यदि हो तो]	निल

-अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची-

क.अभियोजन

क्रम संख्या	गवाह का नाम	गवाह की प्रकृति
पी.ड.1	रहीश अब्बास	ट्रक आरजे 02 जीबी 1732 का मालिक व दस्तावेजी साक्षी
पी.ड.2	मुस्ताक	मजरूब, चश्मदीद गवाह
पी.ड.3	राजपाल सिंह	पुलिस गवाह
पी.ड.4	योगेश कुमार	पुलिस गवाह
पी.ड.5	दयाचंद	पुलिस गवाह
पी.ड.6	शिवराम सिंह	पुलिस गवाह
पी.ड.7	राजेन्द्र सिंह	फर्द गिरफतारी का गवाह
पी.ड.8	विश्राम सिंह यादव	फर्द गिरफतारी व जब्ती का गवाह
पी.ड.8	घासीराम	पुलिस गवाह
पी.ड.9	कमल सिंह	फर्द गिरफतारी व जब्ती का गवाह, नक्शा मौका
पी.ड.10	बिहारी लाल	मालखाना इंचार्ज
पी.ड.11	हरिओम	गाडी टाटा 407 नंबर एचआर 73 6880 का मालिक
पी.ड.12	डॉ राजीव गुप्ता	चिकित्सकीय साक्षी
पी.ड.13	साहिद निशार	फर्द तस्दीक घटनास्थल
पी.ड.14	राजेश कुमार	फर्द तस्दीक घटनास्थल

पी.ड.15	अनुराग हरित	शिनाख्तगी कार्यवाही
पी.ड.16	कैलाश चौधरी	अनुसंधान अधिकारी
पी.ड.17	रामनिवास	अनुसंधान अधिकारी

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

-अभियोजन /बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची-

प्रदर्श सूची–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	दस्तावेजो की प्रकृति प्रदर्श संख्या
1	प्रदर्श पी–01	नक्शा मौका घटनास्थल
2	प्रदर्श पी–02	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मुस्ताक
3	प्रदर्श पी–03	फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुलजिम सलीम उर्फ समीन उर्फ गंजा
4	प्रदर्श पी–04	फर्द जब्ती एक दस चक्का नंबर आरजे 02 जीबी 1732
5	प्रदर्श पी–05	फर्द जब्ती एक टाटा 407 पिक अप नं. एचआर 73 6880
6	प्रदर्श पी–06, पी–07, पी–08 व पी–09	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी बापर्दा मुलजिम अहमद कोद, कमाल, वसीम, सलीम उर्फ समीन उर्फ गंजा
7	प्रदर्श पी–10	फर्द जब्ती नंबर प्लेट द्वारा निशादेही मुलजिमान अहमद, कमाल व वसीम
8	प्रदर्श पी–11	नक्शा मौका नजरी बरामदगी स्थल नंबर प्लेट

9	प्रदर्श पी–12	फर्द तस्दीक घटनास्थल द्वारा मुलजिम अहमद कोद, कमाल, वसीम
10	प्रदर्श पी–13	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी बापर्दा मुलजिम राहुल
11	प्रदर्श पी–14	फर्द तस्दीक घटनास्थल द्वारा मुलजिम राहुल
12	प्रदर्श पी–15ए	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
13	प्रदर्श पी–16 व पी–16ए	एफआईआर संख्या 729/2015 थाना पलवल सिटी पलवल व प्रमाणित प्रति एफआईआर संख्या 729/2015 पुलिस थाना पलवल सिटी पलवल हरियाणा
14	प्रदर्श पी–17	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र अफसर
15	प्रदर्श पी–18	फर्द तस्दीक घटनास्थल इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम वकील उर्फ काला
16	प्रदर्श पी–19	पत्र कार्यालय तहसीलदार तहसील अलवर शिनाख्ती कार्यवाही रिपोर्ट भिजवाने बाबत
17	प्रदर्श पी–20	कारापाल जिला कारागृह अलवर द्वारा हस्ताक्षरित सूची आरोपी के साथ अन्य 7 बंदियों
18	प्रदर्श पी–21	शिनाख्तगी रिपोर्ट
19	प्रदर्श पी–22	तहरीरी रिपोर्ट
20	प्रदर्श पी–23	चाक एफआईआर
21	प्रदर्श पी–24, पी–25, पी–26, पी–26, पी–27, पी–28, पी–29, व पी–30	फर्द इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम बापर्दा मुलजिम सलीम उर्फ समीन उर्फ गंजा, कमाल, वसीम उमराका, वसीम टाई, अहमद कोद, कमाल, अहमद कोद, राहुल

22	प्रदर्श पी–31	रोजनामचा रपट
23	प्रदर्श पी–31, पी–34 व पी–37	फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुलजिम वकील उर्फ काला, मुनाफ व वसीम
24	प्रदर्श पी–32, पी–35 व पी–38	फर्द इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम बापर्दा मुलजिम वकील उर्फ काला, मुनाफ व वसीम
25	प्रदर्श पी–33, पी–36 व पी–39	फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल द्वारा मुलजिम वकील उर्फ काला, मुनाफ व वसीम

क.बचाव

क्रम संख्या	**दस्तावेजों की प्रकृति**	**प्रदर्श डी. संख्या**
1	निल	निल

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक: 13.05.2026</u>**

01. यह सेशन प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के न्यायालय से **अभियुक्तगण सलीम, अहमद कौद, वसीम, कमाल, राहुल, उस्मान, मुनाफ, वसीम, काला उर्फ पहलवान** के विरूद्ध अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ । **प्रकरण में अभियुक्तगण सलीम, वसीम पुत्र इकबाल, कमाल, मुनाफ, वसीम पुत्र हमीद मफरूर हैं।**

प्रकरण में अभियुक्तगण अहमद कौद, राहुल, उस्मान, काला उर्फ पहलवान की हद तक विचारण किया जा रहा है।

02. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी अफसर ने थाना सदर में रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवायी कि वह ट्रक दस चक्का नंबर आर.जे 02 जी.बी 1732 पर चालक है। गाडी रहीस अब्बास निवासी जटियाणा की है। उसके साथ गाडी पर मुस्ताक खलासी था। दिनांक 16.11.2015 को गाडी से केला खाली करके करीब दस बजे मुस्ताक गाडी को लेकर दिल्ली से अलवर के लिए रवाना हुए । रात्रि करीब 1.15 बजे वे किशनगढ टोल नाके से करीब तीन किलोमीटर अलवर की तरफ आए तो एक सफेद रंग की टाटा 407 गाडी ने उनकी गाडी को पीछे से ओवरटेक कर टाटा 407 को उनकी गाडी के आगे लगाकर उनकी गाडी को रूकवाया और छः-सात व्यक्ति टाटा 407 में से उतरकर

उनकी गाडी में अंदर घुसकर उसे व मुस्ताक को पकडकर हाथ-पैर बांधकर मारपीट कर डराकर उसका मोबाईल फोन लुमिया 540 माइक्रोसोफ्ट दो सिम वाला सिम नंबर 7727050045, 8955880045 व दस हजार रूपये जेब से व उसका एटीएम कार्ड सिंडीकेट व गाडी में रखे साठ हजार रूपये एवं गाडी के कागजात और मुस्ताक का मोबाईल रेंज कंपनी का जिसके नंबर 9887268277 को लूट लिया व उसे व मुस्ताक को उनकी टाटा 407 में डाल लिया । व उनके ट्रक को लूटकर ले गये । वह लडके आपस में एक-दूसरे को अहमद, वसीम, असरू, पहलवान व सलीम गंजा के नाम से बोल रहे थे । उन लडकों को उन्होंने ट्रक की लाईट में देख लिया था । जिनकी उम्र करीब 20 से 30 वर्ष के बीच में है। जिन्हें वह देखकर पहचान सकता है। जो मेवाती भाषा बोल रहे थे । वह लोग उन्हें कच्चे रास्ते में ले जाकर करीब आठ किलोमीटर दूर बुर्जा की घाटी में पटक गये । उन्होंने बडी मुश्किल से अपने हाथ-पैर खोलकर उन्होंने उनकी गाडी के मालिक रहीस अब्बास को घटना के बारे में बताया व पुलिस को सूचना करने को कहा । टाटा गाडी के नंबर एच.आर 73 6880 थे । अतः कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया ...इत्यादि ।

03. उक्त रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 732/15 थाना सदर में अंतर्गत धारा 395 भा.दं.सं. में दर्ज किया जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 395 भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिया गया । सक्षम न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण माननीय सेशन न्यायालय, अलवर को उपार्पित किया गया जहां से प्रकरण वास्ते निस्तारणार्थ इस न्यायालय को अंतरित किया गया ।

04. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 395 भा.दं.सं. के आरोप से आरोपित किया गया तो अभियुक्तगण ने सुन समझकर आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही । दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजों को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया ।

05. अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. लिये गये । जिसमें अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया। साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा ।

06. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का

ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि-

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 16.11.2015 व 17.11.2015 की दरमियानी रात करीबन 01.15 बजे या उसके लगभग मौजा किशनगढ टोल नाके से करीबन तीन किलोमीटर आगे अलवर की तरफ अन्य साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर गाडी को परिवादी की गाडी के आगे लगा दिया एवं परिवादी व मुश्ताक को पकडकर उनके हाथ-पैर बांधकर व मारपीट कर उनका मोबाईल फोन, दस हजार रूपये, ए.टी.एम कार्ड , गाडी में रखे 60,000/-रूपये, कागजात व उनके ट्रक को बेईमानीपूर्वक आशय से छीनकर ले जाकर, डकैती कारित की?

यदि हाँ तो उचित दण्डादेश क्या होगा ?

07. इस संबंध में अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि अभियुक्तगण को घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई बरामदगी की गयी है । तथा अभियुक्तगण की कोई पहचान भी नहीं करवायी गयी है । पुलिस ने गलत तरीके से अभियुक्तगण के विरूद्ध चालान पेश किया है। गवाहों ने विरोधाभासी साक्ष्य दी है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जाए ।

08. जबकि दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन साक्ष्य से अभियोजन कहानी की ताईद होती है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जाए ।

09. बहस उभय पक्षीय सुनने पत्रावली व विधि व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण गवाह परिवादी अफसर खां था । जिसकी मृत्यु होने के कारण उसकी साक्ष्य न्यायालय में लेखबद्ध नहीं की जा सकी ।

10. इसके अलावा प्रकरण में अन्य महत्वपूर्ण **गवाह पी डब्ल्यू 2 मुस्ताक** है। जो वक्त घटना गाडी में खलासी था और जिसे भी अभियुक्तगण के द्वारा अपहरण करके ले जाया गया और उसके मोबाईल को लूटकर ले जाया गया । उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह आरजे02 जी.बी 1732 ट्रक पर खल्लासी था। जिस पर वे कलकता से केले लेकर आये थे। दिनांक 16-17.11.2015 को रात्रि करीब 10 बजे वह और ड्राईवर अफसर ट्रक से पापडी टोल से आगे 1-2 खेत

आगे सवा किमी0 आगे जा रहे थे तो रात करीब 1.00-1.30 बजे एक टाटा 407 गाडी क्रॉस कर उनकी गाडी के आगे लगा दी जिसमें 7 जने थे। उन्होने उनकी गाडी में घुसकर अफसर के कटटा लगा दिया और उनको पकड कर नीचे उतारा और एक दूसरे को नाम लेकर सलीम, वसीम और कई नाम बोल रहे थे। उन्होने अफसर और उसका मोबाईल लूटा और 60,000/-रूपये गाडी में कैश था लूटा और एटीएम लूटा और अफसर की जेब में दस हजार रूपये थे लूटे और उन दोनो को अपने साथ लायी टाटा 407 में पटक दिया और साथ ले गये और घाटी में पटक दिया।

11. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि मुलजिमान का चेहरा खुला हुआ था और आपस में नाम ले रहे थे। इनकी उम्र 20-30 के बीच की थी और मेवाती बोल रहे थे। इन्होने उन्हें बुर्जा की घाटी में पटक दिया। जैसे तैसे खोलकर वे गांव की तरफ जाकर किसी से मोबाईल लेकर ट्रक मालिक अब्बास को सूचना दी। उसके बाये हाथ पर मुलजिमान द्वारा चोट कारित की जिसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 2 है जो शामिल पत्रावली है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसे साथ ले जाकर घटनास्थल का नक्शा मौका दिनांक 17.11.2015 प्रदर्श पी 1 बनाया था जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। जिसकी पुस्त पर हालात नक्शा मौका अंकित है।

12. जिरह में उक्त गवाह पर्याप्त रूप से विरोधाभासी कथन करता है और यह उल्लेख करता है कि पुलिस ने अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया था तथा उन्हें थाने पर ले जाकर पहचान करवायी थी और उसके बाद जेल में पहचान करवायी । तथा उसने लाईट की रोशनी में अभियुक्तगण को अच्छे से देखा था । परन्तु उक्त गवाह केवल मात्र अभियुक्त सलीम व वसीम के संबंध में साक्ष्य देता है । अभियुक्तगण राहुल, अहमद कौद, काला उर्फ वकील व उसमान के संबंध में उक्त गवाह कोई साक्ष्य नहीं देता है। तथा उक्त व्यक्तियों की उसने कोई पहचान की हो इस संबंध में भी उक्त गवाह कोई साक्ष्य नहीं देता है।

13. पीडित मुस्ताक ने अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में यह स्पष्ट कथन कहे हैं कि वह अभियुक्तगण को पहचान सकता है तो फिर क्या कारण है कि पुलिस ने उक्त चारों अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने के बाद पीडित मुस्ताक से उनकी कोई पहचान क्यों नहीं करवायी और उक्त चारों अभियुक्तगण की पीडित मुस्ताक से पहचान नहीं करवाने के बाबत अभियोजन पक्ष द्वारा कोई उचित तर्क नहीं दिया

गया है। अतः यह तो स्पष्ट है कि चारों अभियुक्तगण की पहचान पीडित के द्वारा नहीं की गयी है । और इससे यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि उक्त चारों व्यक्तियों ने वक्त घटना पीडित के साथ मारपीट की हो उसे बंधक बनाया हो और उसका मोबाईल छीनकर ले गये हो ।

14. प्रकरण में अन्य **गवाह पी डबल्यू 1 रहीश अब्बास** है। जो अनुश्रुत गवाह है और ट्रक नंबर आर.जे 02 जी.बी 1732 का मालिक है । उक्त गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में यह उल्लेख करता है कि वह ट्रक आर.जे 02 जी. बी 1732 का मालिक है। उसका चालक अफसर खॉ व खल्लासी मुस्ताक है। उक्त ट्रक दिनांक 16.11.2015 को दिल्ली से अलवर रात्रि को केले खाली करके आ रहा था। अफसर ने रात में करीब 2-3 बजे उसे जर्ये टेलीफोन सूचना दी कि 8-9 उनके साथ लूट कर गाडी को लूटकर उनके हाथ पैर बांधकर बुर्जा धनेटा की घाटी में पटक गये हैं । गाडी लूटने वालो के पास एक सफेद रंग की टाटा 407 थी तब उसने पुलिस को भी सूचना दी। वे रवाना होकर मौके पर पहुँचे। जहां पर ड्राईवर व खल्लासी मिले उन्होने बताया कि दिल्ली से रात 1.00 बजे किशनगढ टोल नाके पर क्रॉस करके अलवर की तरफ आये तो सफेद रंग की टाटा 407 ने पीछे से क्रॉस कर गाडी को रूकवा लिया जिसमें से 8-9 आदमी बाहर आये और उनके साथ मारपीट कर उन्होने अफसर खां का मोबाईल, दस हजार रूपये उसका एटीएम व गाडी में रखे 60,000 /-रूपये व गाडी के कागजात व मुस्ताक का मोबाईल व गाडी लूट ली। उन्हे बांधकर उनकी टाटा 407 मे डाल लिया और ट्रक को लूट ले गये। जो आपस में एक दूसरे को अहमद, वसीम, उस्मान पहलवान और सलीम गंजा के नाम से बुला रहे थे। ड्राईवर व खल्लासी ने उन्हें ट्रक की लाईट में देखा था ऐसा उन्होने बताया।

15. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उनकी उम्र करीब 20-30 वर्ष की थी व मेवाती भाषा बोल रहे थे। जिन्हे वो करीब 8 किमी0 दूर बुर्जा धनेटा की घाटी में हाथ पैर बांधकर पटक गये और ट्रक लूटकर चले गये। फिर उन्होंने बडी मुश्किल से हाथ पैर खोलकर एक गांव मे जाकर उसे घटना की सूचना दी। उनके साथ मारपीट की गई थी। गाडी की तलाश में सम्मनवास के पास उनकी गाडी को मुलजिमान सहित पुलिस द्वारा पकड लिया गया। उन 8-9 व्यक्तियों ने उसकी गाडी के चालक अफसर खां और खल्लासी मुस्ताक खां को मारपीट कर ट्रक को लूटकर ले गये। दिनांक 17.11.2015 को पुलिस ने उसके व चालक अफसर खां और खल्लासी मुस्ताक खां के सामने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 1

बनाया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। जिसकी पुस्त पर हालात नक्शा मौका अंकित है।

16. जिरह में भी उक्त गवाह यह स्पष्ट कथन करता है कि उसके सामने कोई घटना घटित नहीं हुयी । उसे तो जैसा ड्राईवर व खलासी ने बताया था उसी अनुसार उसने बताया है और उसे उसकी गाडी मिल गयी थी ।

17. इस प्रकार उक्त गवाह एक अनुश्रुत गवाह है और अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं देता है।

18. **गवाह पी डब्ल्यू 11 हरिओम** है जो गाडी टाटा 407 नंबर एच.आर 73-6880 का मालिक है। उक्त गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि उसके नाम से एक गाडी टाटा 407 जिसका नंबर एच आर 73-6880 सफेद रंग दिनांक 08.11.2015 की रात्रि को उसके ड्राईवर ने राजेश के घर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पलवल में खडी की थी। जिसे रात्रि में अज्ञात चोर चुरा कर ले गए थें जिसकी एफआईआर संख्या 729/2015 उसके द्वारा थाना पलवल में दर्ज करावाई गई थी। उक्त उसके वाहन को पुलिस ने किसी अपराध में थाना सदर में पकडा था। उसकी गाडी के असल कागजात गाडी में ही रखे थे। जिस एफआईआर की सत्यप्रति प्रदर्श पी 16 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

19. उक्त गवाह जिरह में यह स्पष्ट कथन करता है कि उसने उसकी गाडी के चोरी होने के बाबत पलवल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी थी और बाद में उसने सदर थाने में उसी गाडी को सुपुर्दगी पर लिया था । गाडी किससे मिली इस बाबत उसे जानकारी नहीं है।

20. इस प्रकार उक्त गावह अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में केवल मात्र यह स्पष्ट कथन करता है कि टाटा 407 नंबर एच.आर 73-6880 भी चोरी की गाडी थी जिसे कुछ व्यक्तियों ने चुरा लिया थ ।

21. प्रकरण में अन्य **महत्वपूर्ण गवाह पी डब्ल्यू 3 राजपाल सिंह जो चौकी सम्मनवास थाना नौगांवा पर कांस्टेबल था, पी डबल्यू 4 योगेश कुमार जो थाना तिजारा पर कांस्टेबल था, पी डबल्यू 5 दयाचंद जो थाना तिजारा पर एएसआई था , पी डब्ल्यू 6 शिवराम सिंह जो थाना नौगांवा पर**

थानाधिकारी था तथा पी डब्ल्यू 8 घासीराम जो थाना तिजारा पर उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थापित था उक्त सभी गवाह जाब्ते के गवाह थे ।

22. **गवाह पी डब्ल्यू 6 शिवराम सिंह व पी डब्ल्यू 3 राजपाल सिंह** मुख्य परीक्षा में कथन करते हैं कि राजपाल सिंह दिनांक 16-17.11.2015 को चौकी सम्मनवास थाना नौगांवा में कानि0 के पद पर व शिवराम सिंह थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। उस रात को थानेदार शिवराज सिंह मय जाब्ता कानि0 मूलाराम 1762, सुल्तान सिंह 1791, राघवेन्द्र कुमार 868, बलराम 652 मय सरकारी जीप चालक करण सिंह के आये व सम्मनबास चौकी से राजपाल व कानि0 मुरारीलाल 197 को लेकर उच्चाधिकारियों के आदेश से चौकी के सामने नाकाबंदी शुरू की गई। दौराने नाकाबंदी समय करीब 02.15 एएम पर पुलिस कंट्रोल रूम अलवर से जर्ये वायरलैस सूचना मिली कि पापडी टोल नाके व किथूर के बीच मेगा हाईवे से कुछ बदमाशों ने एक डस्टर गाडी व एक ट्रक नंबर आरजे02 जीबी1732 को टाटा 407 गाडी से ओवरटेक कर रूकवाया तो चालक व खल्लासी को मारपीट कर पटक गये। ट्रक व 10 चक्का गाडी को लूट कर ले गये। समय करीब 01.15 एएम पर लूटा हुआ ट्रक मुबारिकपुर की तरफ से आया। जिसको रोकने की कोशिश की तो एक व्यक्ति ट्रक से उतरकर भाग गया। जिसको पकडने का प्रयास किया मगर अँधेरा होने के कारण पकड में नहीं आ सका। एक बदमाश सहित ट्रक को पकडा एवं पकडे गये बदमाश का नाम पता पूछा तो अपना नाम सलीम उर्फ गंजा पुत्र सिराजूदीन निवासी रीठेठ थाना नगीना जिला नूँह मेवात हरियाणा होना बताया व ट्रक से उतरकर भागने वाले का नाम पता पूछा तो राहुल पुत्र चौडा उर्फ रूजदार निवासी अडबर थाना नूँह जिला नूँह मेवात हरियाणा होना बताया। ट्रक रात्रि को किथूर के पास मेगा हाईवे से लूटना बताया।

23. उक्त गवाह यह भी कथन करते हैं कि सलीम उर्फ गंजा से पूछताछ कर रहे थे तभी पुलिस कंट्रोल रूम से जर्ये वायरलैस सूचना दी गई। इसी दौरान एक टाटा 407 मुबारिकपुर की तरफ से आयी व पुलिस नाकाबंदी देखकर वापिस मुबारिकपुर की तरफ भागने पर नाकाबंदी हेतु पुलिस कंट्रोल रूम अलवर को सूचना कर ट्रक व बदमाश सलीम को पुलिस चौकी पर सुपुर्द कर टाटा 407 का पीछा किया। थोडी देर बाद समय 3 बजे सीओ साहब परमाल सिंह जी व थाना सदर का जाब्ता पीछा करते हुए जेरोली पहुंचे । जहां पर गांव के बीच टाटा गाडी 407 को छोडकर जैरौली में पहाडो की तरफ बदमाश भाग गये थे जिसका उसने व उसके साथ जाब्ते ने पहचाना। भागने वाले व्यक्ति का नाम अहमद कौद निवासी रीठठ

वसीम टाई, वसीम उमराका, उस्मान रीठठ, काला उर्फ पहलवान निवासी कोठ थे। अन्य प्रकरण की तफतीश के दौरान दीगर मुकदमों में उक्त मुलजिमान के बंद रहने के कारण शिवराम सिंह उनको जानता है।

24. उक्त गवाह अपनी जिरह में यह स्पष्ट कथन करते हैं कि जो अभियुक्त ट्रक छोडकर भागा था उसका नाम अभियुक्त सलीम ने राहुल बताया था और उसका सही नाम बताया या गलत वह इस बाबत नहीं बता सकता । तथा पहले वह नाकाबंदी समनबास चौकी पर ही कर रहे थे ।

25. इस प्रकार उक्त दोनों गवाह मुख्य परीक्षा में अधिकांश कथन अन्य अभियुक्त सलीम के संबंध में करते हैं और अभियुक्त राहुल जिसे पुलिस के द्वारा घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया और उसे अभियुक्त सलीम के अनुसार भागना बताया है , परन्तु एक अभियुक्त की सूचना अन्य अभियुक्त पर तब तक वैद्य नहीं मानी जा सकती जब तक कि उसके संबंध में अन्य कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हो । और पुलिस द्वारा अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार करने के बाद ना तो उसकी शिनाख्तगी करवायी गयी और ना ही अभियुक्त राहुल से किसी प्रकार की कोई बरामदगी हुयी है।

26. **गवाह पी डब्ल्यू 4 योगेश कुमार, पी डब्ल्यू 5 दयाचंद, पी डबल्यू 8 घासीराम** मुख्य परीक्षा में कथन करते हैं कि योगेश कुमार व दयाचंद दिनांक 16-17.11.2015 को थाना तिजारा में कानि0 के पद पर पदस्थापित थे व घासीराम 06.08.2015 से थाना तिजारा में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। दिनांक 16-17.11.15 की रात को वक्त 12 ए.एम पर श्री दयाचंद एएसआई के साथ कानि0 योगेश, कानि0 विजेन्द्र, संजय, दयाराम जर्ये जीप सरकारी चालक असलम के टोल नाका पर नाकाबंदी के लिए रवाना हुए। वक्त 02.15 एएम पर जर्ये वायरलैस से सूचना मिली कि कंट्रोल रूम अलवर से बताया कि पापडी टोल नाके व किथूर के बीच एक मेगा हाईवे से कुछ बदमाशों ने एक डस्टर गाडी व एक ट्रक नंबर आरजे02 जीबी 1732 दस चक्का को टाटा 407 गाडी से ओवरटेक कर रूकवाया तो चालक व खल्लासी को मारपीट कर पटक गये। ट्रक व 10 चक्का गाडी को लूटकर ले गये। जिस पर नाकाबंदी कर रहे थानेदार घासीराम ने बताया कि जैरोली पहुँचो वह जाब्ता सहित जैरोली पहुँच रहा है। थाने से घासीराम थानेदार व सत्येन्द्र कानि0 मय प्राइवेट मोटरसाईकिल के उच्चधिकारियो के

निर्देशानुसार नाकाबंदी हेतु जैरोली पहुँच नाकाबंदी शुरू की गई।

27. उक्त गवाहान यह भी कथन करते हैं कि थानाधिकारी नौगांवा व किशनगढबास व सीओ परमाल जी वाहन का पीछा करते हुए पहुँचे तो गांव के बीच टाटा गाडी 407 जिसको घटना में काम में लिया गया जो मिल गयी । जिसे छोडकर बदमाश जैरौली में पहाडो की तरफ भाग गये थे जिसको उन्होंने व जाब्ते ने पीछा किया था तो उस समय उजाला हो गया था। उनके व जाब्ते के द्वारा बदमाशों की पहचान की तो जिनमें अहमद, वसीम टाई, वसीम उमराका, उस्मान रीठठ, काला उर्फ पहलवान निवासी कोठ थे। जिनके कई मुकदमें होने के कारण वे उनको जानते हैं।

28. जिरह में उक्त गवाहान यह कथन करते हैं कि उन्होंने अभियुक्तगण को भागते हुए देखा था, परन्तु जिरह में गवाह पी डब्लयू 4 योगेश कुमार पर्यास रूप से विरोधाभासी कथन करता है और यह स्पष्ट उल्लेख करता है कि वह अभियुक्तगण को ना तो उस समय जानता था और ना ही वर्तमान में पहचानता है। और जो मुलजिम टाटा 407 छोडकर भागा था उनको नाम व शक्ल से पहले से भी नहीं जानता था । गवाह पी डब्ल्यू 5 दयाचंद जिरह में यह स्पष्ट कथन करता है कि वह पहले समनवास चौकी के सामने नाकाबंदी कर रहे थे । तथा गवाह पी डब्लयू 8 घासीराम अपनी जिरह में यह स्पष्ट कथन करता है कि उसने भागते हुए अभियुक्तगण के चेहरे नहीं देखे थे और वह मुलजिमान को फोटो देखकर भी नहीं पहचान सकता है।

29. इस प्रकार उक्त तीनों गवाह यद्यपि मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण को भागते हुए पहचानने के संबंध में तो कथन करते हैं, परन्तु अभियुक्तगण अहमद कौद, काला उर्फ पहलवान, व उसमान की कोई पहचान तीनों गवाहों द्वारा नहीं की गयी है। गवाह पी डब्ल्यू 4 योगेश कुमार उन्हें नाम व शक्ल से नहीं जानता । गवाह पी डब्ल्यू 6 शिवराम सिंह ने भी उक्त व्यक्तियों को नहीं देखा व अन्य दूसरे गवाह समनवास चौकी पर थे । इस प्रकार उक्त चारों अभियुक्तगण की पहचान के बाबत जो सबसे मुख्य गवाह मुस्ताक था उससे तो चारों अभियुक्तगण की पहचान नहीं करवायी गयी और पुलिस के गवाहों ने भी उनकी पहचान के बाबत विरोधाभासी साक्ष्य दी है। अतः उक्त चारों अभियुक्तगण ने परिवादी से ट्रक, रूपये, मोबाईल आदि लूटे हो इस संबंध में उक्त गवाह कोई साक्ष्य नहीं देते हैं और उक्त चारों अभियुक्तगण से किसी भी प्रकार की कोई जब्ती भी नहीं की गयी है।

30. **गवाह पी डब्ल्यू 8 विश्राम सिंह** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 17.11.2015 को थाना सदर में कानि0 के पद पर पदस्थापित था। उस दिन आईओ साहब ने मु0न0 732/2015 धारा 395 आईपीसी में मुलजिम सलीम उर्फ समीन उर्फ गंजा पुत्र सिराजूदीन निवासी रीठेठ थाना नगीना जिला नूँह मेवात हरियाणा को जुर्म से आगाह कर जर्ये फर्द राजेन्द्र कानि0 और उसकी मौजूदगी में बापर्दा गिरफतार किया जो प्रदर्श पी 3 है । जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर मुलजिम की अगूँठा निशानी है। मुलजिम की जमा तलाशी उसके द्वारा ली गई जिसमें पहने हुए कपडों के अलावा कुछ नहीं मिला। गिरफतारी की सूचना पृथक से दी गई व उसी दिन प्रकरण में माल मशरूका ट्रक को उसके व राजेन्द्र कानि0 के समक्ष आईओ साहब ने बतौर वजह सबूत जब्त किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 4 बनाई जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी राजेन्द्र कानि0 के हस्ताक्षर है जिसे वह उसके साथ कार्य करने के कारण उनके हस्ताक्षर पहचानता है। उसी दिन घटना में प्रयुक्त टाटा 407 को उसके व राजेन्द्र कानि0 के समक्ष आईओ साहब ने बतौर वजह सबूत जब्त किया जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 5 बनाई जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी राजेन्द्र कानि0 के हस्ताक्षर है जिसे वह उसके साथ कार्य करने के कारण उनके हस्ताक्षर पहचानता हैं।

31. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि दिनांक 21.11.2015 को मुलजिम सलीम उर्फ गंजा की इतलानुसार घटनास्थल का तस्दीक नक्शा मौका उसके व महेन्द्र कानि0 के समक्ष बनाया जो फर्द तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी 9 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 18.12.2015 को आईओ साहब ने उसके व कमलसिंह कानि0 के समक्ष न्यायालय के आदेश पर मुलजिमान अहमद कौद, कमाल व वसीम को जिला करागृह अलवर से गिरफतार किया जो क्रमशः प्रदर्श पी 6, पी 7, पी 8 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। गिरफतारी की सूचना पृथक से दी गई। दिनांक 21.12.2015 को आईओ साहब ने उसके व कमलसिंह के समक्ष मुलजिमान अहमद कौद, कमाल व वसीम की निशांदेही पर एक नंबर प्लेट बरामद कर फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व फर्द बरामदगी नक्शा मौका प्रदर्श पी 11 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन आईओ साहब ने उसके व कमलसिंह के समक्ष मुलजिमान अहमद कौद, कमाल व वसीम की निशांदेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 12 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

32. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि दिनांक 19.01.2016 को मुलजिम राहुल को जुर्म से आगाह कर जर्ये फर्द कमलसिंह कानि. और उसकी मौजूदगी में आईओ साहब ने गिरफतार किया जो प्रदर्श पी 13 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 21.01.2016 को मुलजिम राहुल की इतलानुसार घटनास्थल का तस्दीक नक्शा मौका आईओ साहब ने उसके व कमलसिंह कानि. के समक्ष बनाया जो फर्द तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी 14 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

33. जिरह में गवाह कथन करता है कि प्रदर्श पी 10, पी 11, पी 12 पर कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। मुलजिम राहुल को जेल से प्रोडक्शन वारण्ट से गिरफ्तार किया था । मुलजिम राहुल की गिरफ्तारी से पूर्व उसके नाम की कोई नामजद एफआईआर थी या नहीं उसे पता नहीं । मुलजिम राहुल का उक्त प्रकरण में कैसे नाम आया और उसे किस आधार पर मुलजिम बनाया उसे जानकारी नहीं है ।

34. **गवाह पी डब्ल्यू 9 कमल सिंह** दस्तावेजों का गवाह है। उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 18.12.2015 को थाना सदर में कानि0 के पद पर पदस्थापित था। उस दिन आईओ साहब ने मु.न. 732/2015 धारा 395 आईपीसी में अनुसंधान किया जाकर दौराने अनुसधान दिनांक 18.12.2015 को आईओ साहब ने उसके व विश्राम के समक्ष न्यायालय के आदेश पर मुलजिमान अहमद कौद, कमाल व वसीम को जिला करागृह अलवर से गिरफतार किया जो क्रमशः प्रदर्श पी 6, पी 7, पी 8 है । जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। गिरफतारी की सूचना पृथक से दी गई। दिनांक 21.12.2015 को आईओ साहब ने उसके व विश्राम सिह के समक्ष मुलजिमान अहमद कौद, कमाल व वसीम की निशांदेही पर एक नंबर प्लेट बरामद कर फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 10 बनायी । जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है व फर्द बरामदगी नक्शा मौका प्रदर्श पी 11 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन आईओ साहब ने उसके व विश्राम सिह के समक्ष मुलजिमान अहमद कौद, कमाल व वसीम की निशांदेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 12 है । जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

35. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि दिनांक 19.01.2016 को मुलजिम राहुल को जुर्म से आगाह कर जर्ये फर्द विश्राम सिंह कानि0 और उसकी मौजूदगी

में आईओ साहब ने गिरफतार किया जो प्रदर्श पी 13 है । जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 21.01.2016 को मुलजिम राहुल की इतलानुसार घटनास्थल का तस्दीक नक्शा मौका आईओ साहब ने उसके व विश्राम सिह कानि0 के समक्ष बनाया जो फर्द तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी 14 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

36. जिरह में उक्त गवाह कथन करता है कि वह आई.ओ के साथ गया था और दस्तावेजों पर स्वतंत्र गवाह नहीं है। इस प्रकार उक्त गवाह केवल मात्र अभियुक्तगण की गिरफतारी और तस्दीक घटनास्थल के संबंध में साक्ष्य देता है।

37. **गवाह पी डब्ल्यू 13 साहिद निशार, पी डब्ल्यू 14 राजेश कुमार** है। जो अभियुक्त काला उर्फ वकील से घटनास्थल की तस्दीक के गवाह हैं । उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करते हैं कि दिनांक 08.08.2019 को पुलिस थाना सदर अलवर मे कानि0 के पद पर कार्यरत थे । उस दिन मुलजिम वकील उर्फ काला की इतला पर आई.ओ द्वारा घटनास्थल का तस्दीक घटना स्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी-18 तैयार किया था जिस पर ए से बी उनके हस्ताक्षर है।

38. जिरह में भी उक्त दोनों गवाह केवल मात्र यह कथन करते हैं कि अनुसंधान अधिकारी के साथ वह वर्दी में गये थे और नक्शा मौका बनाया था । इस प्रकार उक्त गवाह केवल अभियुक्त काला उर्फ वकील से घटनास्थल की तस्दीक के संबंध में साक्ष्य देते हैं ।

39. **गवाह पी डब्ल्यू 12 डॉ. राजीव गुप्ता** है जिसने पीडित अफसर का चोट प्रतिवेदन तैयार किया था । उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 17.11.2015 को मेडिकल ज्युरिष्ट के पद पर सामान्य चिकित्सालय अलवर में कार्यरत था। उस दिन उसके द्वारा पुलिस प्रतिवेदन पर अफसर पुत्र आजाद के शरीर पर आई चोटों का मेंडिकल मुआयना मेरे द्वारा किया गया जो निम्न प्रकार है-

चोट संख्या 01- पेट पर दाहिनी तरफ दर्द की शिकायत, जाहिरा कोई चोट नहीं।
चोट संख्या 02- बाईं जांघ पर दर्द की शिकायत, जाहिरा कोई चोट नहीं।
उक्त चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 17 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा सी से डी अफसर के हस्ताक्षर एवं ई से एफ अफसर का पहचान चिह्न अंकित है।

40. जिरह में उक्त गवाह कथन करता हे कि चोट संख्या 1 व 2 बीमारी से भी हो सकती हैं।

41. **गवाह पी डब्ल्यू 10 बिहारी लाल** मालखाने का गवाह है । उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 17.11.2015 को थाना सदर में हैड कानि. एवं मालखाना इंचार्ज के पद पर पदस्थापित था। उस दिन आईओ साहब ने मु.नं. 732/2015 धारा 395 आईपीसी में जप्तशुदा माल एक ट्रक 10 चक्का नंबर आर जे 02 जी बी 1732 व एक पिकअप टाटा कंपनी की जिसके नंबर एच आर 73 -6880 व एक नंबर प्लेट ट्रक की नंबर आर जे 02 जी बी 1732 लिखी हुई मुलजिमों से जप्तशुदा को आईओ श्री कैलाश चौधरी थानाधिकारी सदर ने उस हैड कानि. को थाना परिसर में खडे हुए ट्रक व पिकअप टाटा तथा एक नंबर प्लेट दिये। जिनका इंद्राज उसके द्वारा मालाखाना रजिस्टर के मद संख्या 1223 में किया गया। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 15 है। जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली पर मौजूद है जो प्रदर्श पी 15 ए है।

42. जिरह में उक्त गवाह कथन करता है कि टाटा गाडी व ट्रक किससे जब्त किया गया उसे जानकारी नहीं है। मालखाने के गवाह को यह जानकारी हो भी नहीं सकती कि माल कहां से बरामद हुआ । वह तो आई.ओ जो माल देता है उसे जमा करता है।

43. **गवाह पी डब्ल्यू 7 राजेन्द्र सिंह** अभियुक्त सलीम से संबंधित है इसलिए उक्त गवाह की साक्ष्य का विवेचन नहीं किया जा रहा है। **गवाह पी डब्ल्यू 15 अनुराग हरित** तहसीलदार है जो अभियुक्त सलीम की शिनाख्तगी परेड से संबंधित है। इसलिए उक्त गवाह की साक्ष्य का विवेचन नहीं किया जा रहा है।

44. गवाह पी डब्ल्यू 16 कैलाश चौधरी जो प्रथम अनुसंधान अधिकारी है तथा पी डब्लयू 17 रामनिवास जो द्वितीय अनुसंधान अधिकारी है। **गवाह पी डब्ल्यू 16 कैलाश चौधरी** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 17.11.2015 को वह पुलिस थाना सदर में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था । उस दिन परिवादी अफसर के द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 22 रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु उसके समक्ष पेश की जिस पर उसके द्वारा ए से बी कार्यवाही पुलिस अंकित की जाकर मुकदमा नंबर 732/2015 जुर्म धारा 395 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान उसके नाम किया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 22 है जिस पर ई से एफ उसके तथा

सी से डी परिवादी के हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 23 है जिस पर ए से बी परिवादी व सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

45. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उसके द्वारा दौराने अनुसंधान परिवादी अफसर व गवाहान मुस्ताक, रहीस अब्बास खां, शिवराम सिंह, राजपाल सिंह, घासीराम, दयाचंद, योगेश कुमार, हरिओम शर्मा के बयान 161 सीआरपीसी उनके कहेअनुसार लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गए। उसी दिन घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 परिवादी की निशादेही व गवाहान की उपस्थिति में तैयार किया जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ परिवादी व जी से एच उसके हस्ताक्षर है व जिसकी पुश्त पर आई से जे हालात मौका व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। आहत मुस्ताक व अफसर के आई चोटों का मेडीकल ज्यूरिष्ट से चोट प्रतिवेदन पत्र क्रमशः प्रदर्श पी 02 व 17 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया । प्रदर्श पी 02 पर सी से डी शामिल किए जाने का नोट व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। तथा प्रदर्श पी 17 पर शामिल पत्रावली किए जाने का नोट जी से एच व आई से जे उसके हस्ताक्षर है।

46. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि दौराने अनुसंधान 17.11.2015 को मुलजिम सलीम उर्फ समीम उर्फ गंजा को बापर्दा गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 03 तैयार की । जिस पर ए से बी गवाहान व सी से डी उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगूठा निशानी है। उसी समय मुलजिम से प्रकरण में लूटा गया वाहन ट्रक नंबर आरजे02 जीबी 1732 दौराने नाकाबंदी बरामद कर फर्द बरामदगी व जब्ती प्रदर्श पी 04 तैयार की जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर मुलजिम सलीम की अंगूठा निशानी है।

47. उक्त् गवाह यह भी कथन करता है कि घटना को करने के लिए मुलजिमान के द्वारा घटना में प्रयुक्त वाहन टाटा 407 नंबर एचआर 73-6880 को बतौर वजह सबूत जब्त किया जाकर फर्द जब्ती प्रदर्श पी 05 उसके द्वारा तैयार की जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर मुलजिम सलीम की अंगूठा निशानी है। दौराने अनुसंधान दिनांक 21.11.2015 को गिरफतारशुदा मुलजिम सलीम के द्वारा स्वेच्छा से आईओ को इत्तला दी कि दिनांक 16-17.11.2015 की रात्रि को उसने व अहमद कौद, कुशमान, मुस्ताक, वसीम, राहुल, शकील, वसीम उमराका, पहलवान ने जिस स्थान पर दस चक्का

ट्रक को लूट कर ले गए थे उस स्थान को वह चलकर बता सकता है। जिसकी फर्द इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम के कथनानुसार उसके द्वारा प्रदर्श पी 24 तैयार की । जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगूठा निशानी है।

48. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि दिनांक 21.11.2015 को मुलजिम सलीम के द्वारा दी गई इत्तला अनुसार घटनास्थल का तस्दीक घटनास्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी 09 मुलजिम की निशादेही व गवाहान की उपस्थिति तैयार किया। जिस पर ए से बी गवाहान, सी से डी उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगूठा निशानी है। मुलजिम सलीम की शिनाख्तगी रिपोर्ट करवाई जाकर न्यायालय से प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई जो प्रदर्श पी 21ए है । जिस पर ए से बी शामिल पत्रावली किए जाने का नोट व सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा असल भी पत्रावली पर पेश है जो प्रदर्श पी 21 है।

49. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि दौराने अनुसंधान दिनांक 18.12.2015 को मुलजिम अहमद कौद, कमाल, वसीम को गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी पृथक पृथक क्रमशः प्रदर्श पी 06 लगायत 08 उसके द्वारा तैयार की गयी । जिन पर ए से बी, सी से डी गवाहान व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा जी से एच मुलजिमान के हस्ताक्षर है।

50. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि दौराने अनुसंधान दिनांक 21.12.2015 को मुलजिम कमाल के द्वारा आईओ को स्वेच्छा से इत्तला दी की उसने व अहमद कौद, सलीम उर्फ गंजा, काला उर्फ पहलवान, राहुल उर्फ शकील, उस्मान, मुनाफ, वसीम टाई, वसीम उमराका ने दस चक्का ट्रक को लूट कर उसकी नंबर प्लेट धनेटा घाटी की झाडियों में फेंक दी थी। उस स्थान को वह चलकर बता सकता है। जिसकी फर्द इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम के कथनानुसार उसके द्वारा प्रदर्श पी 25 तैयार की । जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मुलजिम कमाल के हस्ताक्षर है।

51. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि दौराने अनुसंधान दिनांक 21.12.2015 को मुलजिम अहमद कौद के द्वारा आईओ को स्वेच्छा से इत्तला दी की उसने व कमाल, सलीम उर्फ गंजा, काला उर्फ पहलवान, राहुल उर्फ शकील, उस्मान, मुनाफ, वसीम टाई, वसीम उमराका ने दस चक्का ट्रक को लूट कर उसकी नंबर

प्लेट धनेटा घाटी की झाडियों में फेंक दी थी। उस स्थान को वह चलकर बता सकता है। जिसकी फर्द इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम के कथनानुसार उसके द्वारा प्रदर्श पी 29 तैयार की जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मुलजिम अहमद कौद के हस्ताक्षर है।

52. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि दौराने अनुसंधान दिनांक 21.12.2015 को मुलजिम वसीम टाई के द्वारा आईओ को स्वेच्छा से इत्तला दी की उसने व अहमद कौद, सलीम उर्फ गंजा, काला उर्फ पहलवान, राहुल उर्फ शकील, उस्मान, मुनाफ, कमाल, वसीम उमराका ने दस चक्का ट्रक को लूट कर उसकी नंबर प्लेट को खोलकर धनेटा घाटी की झाडियों में फेंक दी थी। उस स्थान को वह चलकर बता सकता है। जिसकी फर्द इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम के कथनानुसार उसके द्वारा प्रदर्श पी 26 तैयार की । जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मुलजिम वसीम के हस्ताक्षर है। मुलजिमान अहमद कौद, वसीम टाई, कमाल के द्वारा दी गई इत्तला अनुसार उनके द्वारा झाडियों से निकालकर एक नंबर प्लेट पेश करने पर उसके द्वारा नंबर प्लेट को जब्त कर प्रदर्श पी 10 तैयार की जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ उसके व जी से एच, आई से जे, के से एल मुलजिमान के हस्ताक्षर है।

53. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 11 उसके द्वारा तैयार किया जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ उसके व जी से एच, आई से जे, के से एल मुलजिमान के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान दिनांक 21.12.2015 को मुलजिम वसीम उमराका के द्वारा आईओ को स्वेच्छा से इत्तला दी की दिनांक 16,17.11.2015 की रात्रि को उसने व अहमद कौद, सलीम उर्फ गंजा, काला उर्फ पहलवान, राहुल उर्फ शकील, उस्मान, मुनाफ, कमाल, वसीम उमराका ने जिस स्थान से दस चक्का ट्रक को लूट कर ले गए थे उस स्थान को वह चलकर बता सकता है। जिसकी फर्द इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम के कथनानुसार उसके द्वारा प्रदर्श पी 26 तैयार की जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मुलजिम वसीम के हस्ताक्षर है।

54. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि दौराने अनुसंधान दिनांक 21.12.2015 को मुलजिम अहमद कौद के द्वारा आईओ को स्वेच्छा से इत्तला दी की दिनांक 16-17.11.2015 की रात्रि को उसने व वसीम टाई, सलीम उर्फ गंजा, काला उर्फ पहलवान, राहुल उर्फ शकील, उस्मान, मुनाफ, कमाल, वसीम उमराका ने जिस

स्थान से दस चक्का ट्रक को लूट कर ले गए थे उस स्थान को वह चलकर बता सकता है। जिसकी फर्द इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम के कथनानुसार उसके द्वारा प्रदर्श पी 27 तैयार की जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मुलजिम अहमद कौद के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान दिनांक 21.12.2015 को मुलजिम कमाल के द्वारा आईओ को स्वेच्छा से इत्तला दी की दिनांक 16-17.11.2015 की रात्रि को उसने व अहमद कौद, सलीम उर्फ गंजा, काला उर्फ पहलवान, राहुल उर्फ शकील, उस्मान, मुनाफ, वसीम टाई, वसीम उमराका ने जिस स्थान से दस चक्का ट्रक को लूट कर ले गए थे उस स्थान को वह चलकर बता सकता है। जिसकी फर्द इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम के कथनानुसार उसके द्वारा प्रदर्श पी 28 तैयार की । जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मुलजिम कमाल के हस्ताक्षर है।

55. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि दिनांक 21.12.2015 को मुलजिमान अहमद कौद, कमाल व वसीम टाई के द्वारा दी गई इत्तला अनुसार घटनास्थल का तस्दीक घटनास्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी 12 मुलजिमान की निशादेही व गवाहान की उपस्थिति तैयार किया । जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ उसके व जी से एच, आई से जे, के से एल मुलजिमान के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान दिनांक 19.01.2016 को उसके द्वारा मुलजिम राहुल को गिरफतार कर फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 13 उसके द्वारा तैयार की । जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ उसके व जी से एच मुलजिम राहुल के हस्ताक्षर है।

56. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि दौराने अनुसंधान दिनांक 20.01.2016 को मुलजिम राहुल पुत्र चौडा के द्वारा आईओ को स्वेच्छा से इत्तला दी की दिनांक 16,17.11.2015 की रात्रि को उसने व अहमद कौद, सलीम उर्फ गंजा, काला उर्फ पहलवान, कमाल, उस्मान, मुनाफ, वसीम टाई, वसीम उमराका ने जिस स्थान से दस चक्का ट्रक को लूटकर ले गए थे उस स्थान को वह चलकर बता सकता है। जिसकी फर्द इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम के कथनानुसार उसके द्वारा प्रदर्श पी 30 तैयार की । जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मुलजिम राहुल के हस्ताक्षर है।

57. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उसी दिन मुलजिम राहुल के द्वारा दी गई इत्तला अनुसार घटनास्थल का तस्दीक घटनास्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी 14 मुलजिमन की निशादेही व गवाहान की उपस्थिति तैयार किया । जिस पर ए से

बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ उसके व जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर है। घटना दिनांक 17.11.2015 की रोजनामचा रपट प्रदर्श पी 31 को शामिल पत्रावली किया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। घटना में प्रयुक्त वाहन टाटा 407 मुकदमा नंबर 729/2015 जुर्म धारा 379 आईपीसी पुलिस थाना सीटी पलवल हरियाणा की एफआईआर प्रदर्श पी 16 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 16ए पर शामिल पत्रावली किए जाने का नोट ए से बी अंकित है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

58. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि दौराने तफतीश उसके द्वारा पुलिस थाना नौगांवा व तिजारा के मुलाजिमानों की रवानगी नकल रपट रोजनामचा आम की फोटो प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की । जिस पर उसके द्वारा शामिल पत्रावली का नोट अंकित कर उसके हस्ताक्षर है। दौराने त्फतीश उसके द्वारा एफआईआर संख्या 739/2015 पुलिस थाना नूंह की फोटो प्रति एवं प्रकरण में मुलजिमान के कब्जे से देशी कटटा बरामद हुआ था कि बरामदगी की फोटोप्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई । जिस प्रकरण में मुलजिमान पूर्व से कारागृह में बंदी थे जिन्हें न्यायालय से वारण्ट प्राप्त कर उक्त प्रकरण में प्राप्त कर गिरफतार किया गया था।

59. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि प्रकरण में जब्तशुदा ट्रक व टाटा 407 को बरामद कर जमा मालखाना करवाया। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 15ए है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सम्पूर्ण तफतीश व दस्तावेजी साक्ष्य से मुलजिमान सलीम उर्फ गंजा, अहमद कौद, वसीम पुत्र इकबाल, कमाल, राहुल, उस्मान, मुनाफ, वसीम पुत्र हमीद, काला उर्फ पहलवान के विरूद्ध जुर्म दफा 395 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर मुलजिमान सलीम उर्फ गंजा, अहमद कौद, वसीम पुत्र इकबाल, कमाल, राहुल जेसी में चल रहे है एवं शेष मुलजिमान उस्मान, मुनाफ, वसीम पुत्र हमीद, काला उर्फ पहलवान की तलाश जारी रखते हुए उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार चार्जशीट नंबर 34/2016 दिनांक 13.02.2016 किता कर मुलजिमान सलीम उर्फ गंजा, अहमद कौद, वसीम पुत्र इकबाल, कमाल, राहुल के विरूद्ध 395 आईपीसी में चालान पेश किया व शेष मुलजिमान उस्मान, मुनाफ, वसीम पुत्र हमीद, काला उर्फ पहलवान के विरूद्ध 173(8) में अनुसंधान लंबित रखते हुए तलाश जारी रही। चार्जशीट के प्रत्येक पेज पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

60. जिरह में उक्त गवाह यह स्पष्ट कथन करता है कि उसने अभियुक्त राहुल से कोई माल आदि बरामद नहीं किया । और परिवादी व गवाह से राहुल की शिनाख्तगी नहीं करवायी गयी, तो अभियुक्त राहुल की शिनाख्तगी परिवादी अफसर व पीडित मुस्ताक से क्यों नहीं करवायी गयी इसका कोई उचित कारण अनुसंधान अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है।

61. **गवाह पी डब्ल्यू 17 रामनिवास** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 07.08.2019 को थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला अलवर के पद पर पदस्थापित था। उस दिन पूर्व थानाधिकारी का स्थानान्तरण होने एवं मुकदमा नं. 732/15 में 173(8) सीआरपीसी में पैण्डिग होने पर उसे चार्ज में प्राप्त हुई थी। उसने दिनांक 07.08.19 को मुकदमा नं. 732/15 में मुलजिम वकील उर्फ काला को बापर्दा गिरफ्तार किया था। जिसकी फर्द गिर0 प्रदर्श पी-31 है जिस पर ए से बी सी से डी गवाहान के व ई से एफ मुलजिम काला के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

62. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि मुलजिम वकील उर्फ काला की उसने कार्यवाही शिनाख्त करवाने की प्रक्रिया की लेकिन गवाह अफसर खां निवासी नंगला इमाम थाना बरसाना जिला मथुरा यू.पी. की मृत्यु होने व अन्य गवाह मुस्ताक खां पुत्र श्री दीनू खां उम्र 18 साल निवासी चोर बसई थाना किशनगढबास अलवर के नहीं आने पर व लिखित में मना करने पर कार्यवाही शिनाख्त मुलजिम की नहीं करवाई जा सकी। मुलजिम ने दौराने अनुसंधान आई.ओ को इत्तला दी कि दिनांक 17.11.15 को उसने व उसके दोस्तों ने जिस स्थान से 10 चक्का ट्रक को लूटकर लेकर गये थे उस स्थान को वह चलकर बता सकता है। फर्द इत्तला प्रदर्श पी-32 है। जिस पर ए से बी मुलजिम व सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

63. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि मुलजिम की इत्तला से घटनास्थल का तस्दीक नक्शा मौका तैयार किया गया। जो प्रदर्श पी-33 है। जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान के व ई से एफ मुलजिम वकील उर्फ काला के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दौराने अनुसंधान मुलजिम मुनाफ को बापर्दा गिरफ्तार किया। जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी-34 है। जिस पर ए से बी, सी से गवाहान व ई से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

64. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि मुलजिम ने दौराने अनुसंधान आई.ओ को इत्तला दी कि दिनांक 17.11.15 को उसने व उसके दोस्तो ने जिस स्थान से गाडी को लूटकर लेकर गये थे उस स्थान को वह चलकर बता सकता है। फर्द इत्तला प्रदर्श पी-35 है। जिस पर ए से बी मुलजिम व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम की इत्तला से घटनास्थल का तस्दीक नक्शा मौका तैयार किया गया। जो प्रदर्श पी-36 है। जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान के व ई से एफ मुलजिम मुनाफ के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

65. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उसके द्वारा दौराने अनुसंधान मुलजिम वसीम को बापर्दा गिर0 किया। जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी-37 है। जिस पर ए से बी, सी से गवाहान व ई से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम ने दौराने अनुसंधान आई.ओ को इत्तला दी कि दिनांक 17.11.15 को उसने व उसके दोस्तो ने जिस स्थान से 10 चक्का ट्रक को लूटकर लेकर गये थे। उस स्थान को वह चलकर बता सकता है। फर्द इत्तला प्रदर्श पी-38 है। जिस पर ए से बी मुलजिम व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम की इत्तला से घटनास्थल का तस्दीक नक्शा मौका तैयार किया गया। जो प्रदर्श पी-39 है। जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान के व ई से एफ मुलजिम के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसने मुलजिम वकील उर्फ काला, मुनाफ, वसीम पुत्र श्री हमीद के विरूद्ध जुर्म धारा 395 आईपीसी में तिम्तबा चार्जशीट पेश न्यायालय की थी। जिसके प्रत्येक पेज पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

66. उक्त गवाह जिरह में स्पष्ट कथन करता है कि अभियुक्त वकील उर्फ काला पहलवान से कोई माल बरामद नहीं किया गया । और उक्त् अभियुक्तगण की कोई पहचान उनके द्वारा नहीं करवायी गयी तो उक्त अभियुक्तगण की भी शिनाख्तगी, पहचान पीडित से क्यों नहीं करवायी गयी इसका कोई उचित कारण उक्त अनुसंधान अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है।

67. अतः अभियोजन साक्ष्य से यह साबित नहीं हो सका है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 16.11.2015 व 17.11.2015 की दरमियानी रात करीबन 01.15 बजे या उसके लगभग मौजा किशनगढ टोल नाके से करीबन तीन किलोमीटर आगे अलवर की तरफ अन्य साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर गाडी को परिवादी की गाडी के आगे लगा दिया हो एवं परिवादी व मुश्ताक को पकडकर उनके हाथ-पैर बांधकर व मारपीट कर उनका मोबाईल फोन, दस हजार रूपये, ए.टी.एम

कार्ड , गाडी में रखे 60,000/-रूपये, कागजात व उनके ट्रक को बेईमानीपूर्वक आशय से छीनकर ले जाकर, डकैती कारित की हो ।

अतः अभियुक्तगण साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

68. अतः **अभियुक्तगण 1. अहमद कौद** पुत्र टुण्डल निवासी रिठठ थाना नगीना जिला नूंह हरियाणा **2. काला उर्फ वकील** पुत्र इस्लाम निवासी कोट [उटावड] थाना बहीन जिला पलवल हरियाणा **3. राहुल** पुत्र चौडा उर्फ रूजदार निवासी अडबर थाना नूंह जिला नूंह मेवात हरियाणा **4. उस्मान** पुत्र इमामुदीन निवासी रिठठ थाना नगीना जिला नूंह मेवात हरियाणा को अपराध अंतर्गत धारा 395 भा.दं.सं. के तहत **साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त** किया जाता है।

69. अभियुक्तगण की उपस्थिति बाबत् पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

70. **प्रकरण में अन्य अभियुक्तगण मफरूर हैं । अतः पत्रावली के सरबरक पर लाल स्याही से इस आशय का नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण में अन्य अभियुक्तगण मफरूर हैं अतः पत्रावली का कोई भाग/माल वजह सबूत नष्ट नहीं किया जाए ।**

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर

71. निर्णय आज दिनांक 13-05-2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर